झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

रॉची,

दिनांक :— 6-5-14

अधिसूचना सं॰—01/स्था॰(एम॰ए॰सी॰पी॰)—18—09/2014.....5488...../राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—06/एस॰—06 (प्रो॰)—03/2009—2981/वि॰, रॉची दिनांक 01.09.09 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर झारखण्ड भू—गर्भ जल सेवा (जल संसाधन विभाग) के अभियंता को जिन्हें पूर्व में 12/24 वर्ष अथवा दोनों की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय अथवा दोनों सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया गया था, उन्हें लगातार 30 वर्षो की नियमित सेवा पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ—05 में अंकित तिथि से उन्हें तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ उच्च संवर्गीय पद के उपलब्ध होने की तिथि तक दिया जाता है।

क्र॰	पदाधिकारी का नाम	आई॰डी॰	पद सोपान में योगदान की तिथि	तृतीय संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि/ वेतनमान 37400—67000 ग्रेड पे 8900	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	श्री सिन्हा लक्ष्मण शरण जागेश्वर	—	02.09.76	01.09.08	

(i) यह योजना दिनांक 01.09.08 से प्रभावी है।

(ii) यह वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

(iii) इस योजनान्तर्गत वित्तीय उन्नयन हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या—2981 दिनांक 01.09.2009 एवं संकल्प संख्या—660/वि॰ दिनांक 28.02.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। भविष्य में यदि पाया जाता है कि दिया गया वित्तीय उन्नयन गलत है या इसके चलते अधिक भुगतान हुआ है तो अधिक भुगतान की गई राशि एक मुश्त वसूल कर ली जायेगी और इसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

6/5/14

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :— 5488 रॉची, दिनांक:— 6-5-14

प्रतिलिपिः— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों (सी॰डी॰ सहित) के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200(दो सौ) प्रतियॉ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

6/5/14

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :— 5488 रॉची, दिनांक :— 6-5-14

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, झारखंड, रॉची, पो0—हिनू, रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जॉच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

6/5/14

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

D:\PRAMOD-III\DY.SEC\MACP-14\PRO\NOTI. S. L.S. Jageshwars.docx

(क्र.पृ.3.)

ज्ञापांक :– 5458 रॉची, दिनांक :– 6-5-14

प्रतिलिपिः–सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, मंत्रीमंडल(निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची/अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखंड, रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/सभी संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड/वेब इन्फारमेंशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1 एवं 2, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/5/14.

(अविनाश कुमार)
सरकार के सचिव।

5.5.14

D:\PRAMOD-III\DY.SEC\MACP-14\PRO\NOTI. S. L.S. Jageshwars.docx